सं.1/4/2016- P&PW (F)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 2/8/ , 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवा के दौरान मृत्यु और नि:शक्तता के मामलों में विशेष लाभ - सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के तहत नि:शक्तता पेंशन/ कुटुंब पेंशन का विनियमन और भुगतान - के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन/ कुटुंब पेंशन के विनियमन के लिए दिनांक 04.08.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-P&PW(A)(i) के तहत आदेश जारी किए गए हैं । केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के तहत नि:शक्तता पेंशन और असाधारण कुटुंब पेंशन की गणना के लिए सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है।

2. असाधारण कुटुंब पेंशन/ नि:शक्तता पेंशन की गणना केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली की अनुसूची II के अनुसार की जाती रहेगी । तथापि, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली न्यूनतम असाधारण कुटुंब पेंशन/ नि:शक्तता पेंशन दिनांक 01.01.2016 से निम्नानुसार होगी: -

I. <u>असाधारण कुटुंब पेंशन</u>

(i) श्रेणी ख और ग के लिए, जहां मृतक सरकारी कर्मचारी ने पेंशन योग्य पद धारण नहीं किया था- प्रति माह 11,700 रुपये प्रति माह।

(ii) श्रेणी ख और ग के लिए, जहां मृतक सरकारी कर्मचारी ने पेंशन योग्य पद धारण किया था- प्रति माह 18,000 रुपये।

(iii) श्रेणी घ और ङ के लिए - प्रति माह 18,000/- रुपये ।

II. <u>नि:शक्तता पेंशन</u>

सभी श्रेणियों (यानी श्रेणी 'ख, ग, घ और ङ') के लिए - प्रति माह 18,000 रुपये ।

3. दिनांक 15.11.2011 के अधिसूचना सं S.O 410(E) के तहत अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली के नियम 9 और 10 की अनुसूची II में निर्धारित सभी अन्य शर्तें तथा प्रक्रियाएं अपरिवर्तित रहेंगी ।

4. इसे दिनांक 17.07.2017 की आईडी संख्या 30-1/33(iii)/2016-IC(Pt) के तहत वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से जारी किया जाता है ।

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

सु. चौधुरी
(सुजाशा चौधरी)
निदेशक
टेलीः 24635979

सेवा में

1. मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।
2. मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि को प्रतिलिपि ।